

## बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना

(वेबसाईट <https://bpssc.bihar.gov.in>)

संदर्भ : विज्ञापन संख्या-01/2025

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में “अवर निरीक्षक मद्य निषेध” के पद पर चयन हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा एवं ई-प्रवेश-पत्र संबंधी सूचना

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में “अवर निरीक्षक मद्य निषेध” के पद पर चयन हेतु जारी किये गये विज्ञापन संख्या-01/2025 के क्रम में प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिनांक-18.05.2025 (रविवार) को एक पाली में निम्नांकित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी।

दिनांक	परीक्षा अवधि (दो घंटे)	अभ्यर्थियों का परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्टिंग टाइम
18.05.2025 (रविवार)	10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न तक	08:30 बजे पूर्वाह्न

(2) **ई-प्रवेश-पत्र** - प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के ई-प्रवेश-पत्र (E-Admit Card) आयोग की वेबसाईट <https://bpssc.bihar.gov.in> के 'Prohibition Dept.' टैब पर दिनांक-03.05.2025 से उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपना ई-प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें। स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जायेगा। आवंटित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई-प्रवेश-पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान-पत्र जैसे-मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। यदि ई-प्रवेश-पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ आवेदन-पत्र के समरूप 2 (दो) फोटोग्राफ भी लायेंगे।

(3) जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाईट से ई-प्रवेश-पत्र डाउनलोड नहीं कर सकें वे दिनांक-13.05.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 17:00 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5, हार्डिंग रोड, पटना-800001 स्थित कार्यालय से अपने आवेदन-पत्र की पावती की छाया प्रति एवं एक वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लिकेट ई-प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

(4) अनुक्रमांकवार परीक्षा केन्द्रों की सूची दिनांक-03.05.2025 से आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित हो लें कि डाउनलोड किया गया ई-प्रवेश-पत्र उसके अनुरूप है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि अपने प्रवेश-पत्र को परीक्षा के बाद भी सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद के विभिन्न प्रक्रियाओं यथा-मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा,

अभिलेख सत्यापन एवं योगदान के समय नियुक्त प्राधिकार/आयोग द्वारा इसकी मांग की जा सकती है।

(5) प्रारंभिक लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर-पुस्तिका (OMR Sheet) पर मुद्रित अनुदेश का प्रतिकरूप (Specimen Copy) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग की वेबसाइट पर दिया जा रहा है। प्रायः पाया गया है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में ओ0एम0आर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा-रौल नम्बर, प्रश्न-पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार नहीं की जाती है जिस कारण उनका अभ्यर्थित्व रद्द हो जाता है एवं उनकी उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त त्रुटियों से बचाव हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि लिखित परीक्षा के पूर्व वेबसाइट पर दिये गये लिखित परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देशों का अध्ययन कर लें एवं उत्तर-पुस्तिका (OMR Sheet) पर मुद्रित अनुदेश के प्रतिकरूप (Specimen Copy) के अनुसार पूर्वाभ्यास कर लें, ताकि उपरोक्त त्रुटियों से बचाव हो सके और आपकी उत्तर-पुस्तिका अमान्य न हो।

(6) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा के दौरान वे रौल नम्बर स्टिकर पर छपे नाम, फोटो एवं रौल नम्बर के अनुरूप ही अपने निर्धारित स्थान पर बैठे अन्यथा स्थिति में उनकी अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।

(7) अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम प्रातः 08:30 बजे है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पूर्वाह्न 09:30 बजे तक ही दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में उक्त निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

ह0/-

**अध्यक्ष,**

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा-01-02/2025-305

दिनांक-25.04.2025

**बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,**

5, हार्डिंग रोड, पटना - 800001

